फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मावली, जिला–उदयपुर

प्रार्थी :– श्रीमती पारस | **विपक्षी :– राज्य**

किस्म मुकदमा – 136 भू.रा.अधि. | **पत्रावली संख्या : 52/19**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 16.03.2020 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थीयां उपस्थित। प्रकरण में सहखातेदार श्री किशनलाल, चम्पालाल, मेहताबी, केसर पिता उंकार, श्रीमती कंकुबाई पत्नी उंकार जाट द्वारा सहमति का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्यारी पिता उंकार के बजाय पारस पिता उंकार किया जाने पर सहमति व्यक्त की। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थीयां व राजपेरोकार की बहस सुनी गई। प्रकरण में प्रार्थीयां द्वारा बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। राजपेरोकार द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की। उभय पक्षकारान को सुना गया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रार्थीयां द्वारा राजस्व रेकार्ड में नाम प्यारी पिता उंकार जाट गलत अंकित होना बताया जिसे दुरूस्त किया जाने का निवेदन किया। राजपैरोकार मावली द्वारा जवाब प्रस्तुत कर नाम गलत अंकित होने से उसे संशोधन किया जाने हेतु कोई आपत्ति जाहिर नहीं की है। प्रार्थीयां द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में जमाबन्दी सम्वत् 2069–72, राशन कार्ड, आधार कार्ड, सहखातेदार का शपथ पत्र प्रस्तुत कर नाम संशोधन किया जाने का निवेदन किया। प्रार्थीयां द्वारा प्रस्तुत पहचान पत्र दस्तावेज में प्रार्थीयां का नाम पारस अंकित है। प्रार्थीयां द्वारा ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जिसमें प्यारी उर्फ पारस को एक ही व्यक्ति होना बताकर जेवाणा का निवासी होना बताया हैं। उक्त प्रस्तुत दस्तावेजों में प्रार्थीयां का नाम पारस होना जाहिर आया हैं। राजपेरोकार द्वारा नाम संशोधन में कोई आपत्ति जाहिर नहीं की हैं। प्रार्थीयां द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर प्रार्थीयां का नाम राजस्व रेकार्ड में गलत अंकित होने से सही किया जाना उचित प्रतीत होता हैं। अतः प्रार्थीयां का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता हैं। **–: आदेश :–** परिणामस्वरूप प्रार्थीयां का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जात है कि मौजा भावली पटवार हल्का साकरोदा की आराजी नम्बर 735, 736, 737, 738, 739, 743, 744, 745, 749, 750, 762, 791, 792 किता 13 रकबा 40 बीघा 4 बिस्वा एवं आराजी नम्बर 795, 796, 797, 803/1 किता 4 रकबा 9 बीघा 2 बिस्वा भूमि में खातेदार प्यारी पिता उंकार के बजाय प्यारी उर्फ पारस पिता उंकार संशोधन किया जाने का आदेश दिया जाता है। पालना हेतु तहसीलदार मावली को लिखा जावें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो । निर्णय खुले ईजलास लिखा जाकर सुनाया गया। **(रमेश सीरवी पुनाड़िया)** **उपखण्ड अधिकारी** **मावली**	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2020.07.21 14:05:08 IST
Reason: SelfAttested